न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा, जिला–बेमेतरा

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

/ /ज्ञापन/ /

क्रमांक / 688/प्र.1./अ.वि.अ./2026 बेमेतरा, दिनांक 27/03/2026

प्रति,

उमेश वर्मा स्व. बाबूराम वर्मा,
निवासी ग्राम बेरा तहसील दाढ़ी,
जिला बेमेतरा

विषयः– वृक्ष कटवाने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा राजस्व ग्राम कोबिया खसरा नं 1437/12 मे दो वृक्ष नीलगिरी एवं कौहा का पेड है जिसमे मेरे घर का निर्माण करने में समस्या उत्पन्न हो रहा है। अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ करना चाहता हुँ जिसके लिये मेरे द्वारा आवदेन दिया गया है । अतः वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान करने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम कोबिया तहसील व जिला बेमेतरा स्थित खसरा नं. 1437/12 (कुल 02 नग) नीलगिरी एवं कौहा वृक्षों को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर क्रमांक 61/दिनांक 11 फरवरी 2022 के अनुसार क्रमांक एक 4–34/सात–1/2021, छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा–2 के खण्ड 61 एवं 62 सहपठित धारा 240 एवं 241 के अनुसार काटने की अनुमति प्रदान की जाती है।

न्यायालय अनुवि. अधि. (रा.) बेमेतरा, जिला–बेमेतरा

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेमेतरा
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
बेमेतरा,जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 689/प्र.1/अ.वि.अ. /2026 बेमेतरा, दिनांक 27/03/2026

प्रतिलिपिः–

1. वनपरिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उक्त वृक्षों को कटाने की कार्यवाही संपन्न कराने एवं कटे हुए वृक्षों को अपने विभाग के संरक्षण में रखें।
2. संबंधित राजस्व निरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। मौके पर आपके स्वयं की उपस्थिति में वृक्ष कटाई की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. आवेदक को जितने वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की जा रही है उतने ही वृक्ष अपने ग्राम में शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण करने की कार्यवाही करेंगे, इसी शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेमेतरा
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
बेमेतरा,जिला-बेमेतरा(छ.ग.)